प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 22.07.2025

- **थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से 9900/- रुपये नगद, 02 जोडी पायल, 02 जोडी बिछिया सफेद धातु व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन हुए बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 01.07.2025 को वादी श्री रंजीत सिंह पुत्र स्व0 ऊदल सिंह निवासी कुदौली, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. श्री कृष्ण पुत्र मलखान निवासी खानपुर चैन, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात 2. आसू उर्फ जुबैर खान पुत्र रहीशुल हसन निवासी मंगलपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 22.07.2025 को समय करीब 09.55 बजे ओवरब्रिज के पास सुलभ शौचालय से 100 मीटर पहले कस्बा झींझक के पास से मय चोरी के 9900/- रुपये नगद व 02 जोडी पायल, 02 जोडी बिछिया सफेद धातु व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनों ने लगभग 20-22 दिन पहले रात्रि में लगभग 02.00 बजे कुदौली गांव मे एक घर से पीछे से चढ़कर चोरी की थी। पुलिस वाले न पकड़ लें इसलिए हम दोनों थाना क्षेत्र से बाहर जा रहे थे। ये सभी रुपये इसी चोरी के है। चोरी में मिले सोने-चाँदी के जेवर हमने किसी दुकान पर न बेचकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों को बेच दिए थे, जिनको हम नहीं जानते। जेवर बेचकर मिले रुपयों में से कुछ रुपये हमने खाने-पीने और घूमने-फिरने में खर्च कर दिए। हमारे पास से जो रूपये मिले है उसी में से बचे शेष रुपये हैं। अभियुक्त श्रीकृष्ण के पास से मिले दोनों फोन के सम्बन्ध मे पूछने पर उसने बताया कि दोनों फोन मैंने राह चलते लोगों से चोरी किये थे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. श्री कृष्ण पुत्र मलखान उम्र 22 वर्ष निवासी खानपुर चैन, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।
2. आसू उर्फ जुबैर खान पुत्र रहीशुल हसन उम्र 30 वर्ष निवासी मंगलपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 9900/- रुपये नगद, 02 जोडी पायल, 02 जोडी बिछिया सफेद धातु व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन।

अभियुक्त आसू उर्फ जुबैर खान उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 322/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 659/2017 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
3.मु0अ0सं0 280/2015 धारा 147/341/353 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 232/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त श्रीकृष्ण उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 232/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मंगलपुर पुलिस।